



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर



प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 29.04.2026

गैंगस्टर अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह उर्फ राजू यादव की ₹1,00,77,680/- की अचल संपत्ति धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त ।

उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित “संगठित अपराध की रीढ़ पर प्रहार” नीति के तहत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही निरंतर जारी है। इसी क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मलवां पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई ।

आज दिनांक 29.04.2026 को गैंगस्टर अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह उर्फ राजू यादव पुत्र राम नरेश यादव, निवासी चूना वाली गली, दुर्गानगर, हरिहरगंज, थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर, उम्र लगभग 36 वर्ष, की एक करोड़ सतहत्तर हजार छह सौ अस्सी (₹1,00,77,680/-) रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त किया गया ।

उक्त संपत्ति अभियुक्त द्वारा नौकरी का झांसा देकर लोगों से छल कपट व धोके से पैसे हड़पने व जान से मारने की धमकी देने जैसे जघन्य आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई पाई गई, जिसके संबंध में सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए जब्तीकरण की कार्यवाही संपन्न कराई गई।

फतेहपुर पुलिस द्वारा संगठित/पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।

जब्त सम्पत्ति का विवरण:--

क्र०सं०	सम्पत्ति का प्रकार	कुर्क की गयी सम्पत्ति का बाजार मूल्य
1.	अभि० शैलेन्द्र सिंह की पत्नी प्रतिभा यादव के नाम मौजा मिठुनपुर खुर्दना थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर में अचल सम्पत्ति	26,65,600 रु/-
2.	अभि० शैलेन्द्र सिंह की बहन नीलम देवी के नाम मौजा मिठुनपुर खुर्दना थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर में अचल सम्पत्ति	17,98,400 रु/-
3.	अभि० शैलेन्द्र सिंह की सहयोगी आशा सिंह के नाम मौजा मिठुनपुर खुर्दना थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर में अचल सम्पत्ति	56,13,680/- रु/-
	कुल योग-	1,00,77,680/- रुपये (अनुमानित मूल्य)

1. शातिर गैग्रेस्टर शैलेन्द्र सिंह उर्फ राजू यादव पुत्र राम नरेश यादव, निवासी चूना वाली गली, दुर्गानगर, हरिहरगंज, थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर, उम्र 36 वर्ष का आपराधिक इतिहास ।

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1.	मु०अ०सं०- 07/2021	धारा 370/406/419/420/467/468/506 भादवि	थाना कोतवाली नगर	फतेहपुर
2.	मु०अ०सं०- 476/2022	धारा 406/419/420/504/506 भादवि	थाना कोतवाली नगर	फतेहपुर
3.	मु०अ०सं०- 701/2022	धारा 120बी/406/416/420/467/468/471 भादवि	थाना कोतवाली नगर	फतेहपुर
4.	मु०अ०सं०- 714/2022	धारा 504/506 भादवि	थाना कोतवाली नगर	फतेहपुर
5.	मु०अ०सं०-724/2022	धारा 120बी/406/416/420/467/468/471 भादवि	थाना कोतवाली नगर	फतेहपुर
6.	मु०अ०सं०-353/2023	धारा 2/3 गैग्रेस्टर अधिनियम	थाना कोतवाली नगर	फतेहपुर

सोशल मीडिया सेल
जनपद फतेहपुर